

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-५ / सूचना-२३-०४/२०१५- १२५६(५) / स्वा०, बिहार, दिनांक:- ३/१०/२०१८

डॉ० शिव कुमार राजन, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें के स्वास्थ्यगत परेशानियों के आलोक में आदेश संख्या-१२१९(५) दिनांक-२४.०९.२०१८ को अल्प संशोधित करते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ५(१) एवं १९(१) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं निदेशालय स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना के अन्तर्गत प्रशाखा-६ के लिए लोक सूचना पदाधिकारी के दायित्व से विमुक्त करते हुए डॉ० राजन की जगह प्रशाखा-६ के लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में श्री रविन्द्र नाथ उपाध्याय, सेवानिवृत अवर सचिव संविदा पर नियोजित को नियुक्त किया जाता है।

- २— यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- ३— प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

३/१०/१८

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- १२५६(५) / स्वा०, पटना, दिनांक:- ३/१०/१८

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/विशेष सचिव/ अपर सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, पटना/ सभी निदेशक प्रमुख/ सभी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३/१०/१८

सरकार के अवर सचिव।